संख्या-06/एफ1-305/2019 श्र0सं0

बिहार सरकार

श्रम संसाधन विभाग

प्रेषक

के॰सेंथिल कुमार
विशेष सचिव ।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना ।

पटना, दिनांक -

विषय: राज्य योजना-ग्रामीण एवं असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के प्रशिक्षण शिविरों का संगठन योजना के वित्तीय वर्ष 2019-20 में कार्यान्वयन हेतु विभिन्न मदों में प्रावधानित क्रमशः सामान्य श्रेणी के श्रमिकों हेतु ₹ 39.00 लाख (₹ उनचालीस लाख) एवं अनुसूचित जाति/जनजाति के श्रमिकों हेतु ₹ 18.00 लाख (₹ अठारह लाख) अर्थात कुल ₹ 57.00 लाख (₹ सनतावन लाख) मात्र के अनुमानित व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार राज्य के विभिन्न जिलों में ग्रामीण एवं असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर लगाकर श्रमिकों में जागृति लाने तथा विभिन्न श्रम अधिनियमों की जानकारी एवं श्रम कल्याण दिवस के अवसर (दिनांक 17.9.2019 को) पर असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सेमिनार, सिमपोजियम आदि का आयोजन जिला के मुख्यालय स्तर पर किये जाने के उद्देश्य से राज्य योजना ग्रामीण प्रशिक्षण शिविरों का संगठन क्रियान्वित की जा रही है। इस हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में कुल ₹ 57.00 लाख (₹ सनतावन लाख) मात्र का बजट उपबंध स्वीकृत है । इसके वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धि शत प्रतिशत रहने की सम्भावना है। इस स्वीकृत बजट उपबंध के आलोक में वित्त विभाग के संकल्प संख्या-3758/वि0 दिनांक 31.05.2017 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत निम्न प्रकार से व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

2. (i) ***ग्रामीण एवं असंगठित क्षेत्र के सामान्य श्रमिकों के लिए-*** मुख्य शीर्ष-2230-श्रम तथा रोजगार-उप मुख्य शीर्ष-01-श्रम-लघु शीर्ष-103-सामान्य श्रम कल्याण-मांग संख्या-26-उपशीर्ष- 0101-ग्रामीण प्रशिक्षण शिविरों का संगठन (विपत्र कोड-26-2230011030101)के अंतर्गत-

विषय शीर्ष	बजट उपबंध
20- अन्य प्रशासनिक व्यय	
0101.20.02 कॉन्फ्रेन्स, कार्यशाला, सेमिनार	23,00,000
0101.20.03 प्रशिक्षण व्यय	16,00,000
योग-26-2230.01.103.0101- ग्रामीण प्रशिक्षण शिविरों का संगठन	***39,00,000***

(₹ उनचालीस लाख) मात्र ।

(ii) ***ग्रामीण एवं असंगठित क्षेत्र के अनुसूचित जाति एवं जन जाति श्रमिकों के लिए*** - मुख्य शीर्ष-2230-श्रम तथा रोजगार-उप मुख्य शीर्ष-01-श्रम-लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-मांग संख्या-26-उपशीर्ष-0101-ग्रामीण प्रशिक्षण शिविरों का संगठन (विपत्र कोड-26-2230017890101) के अंतर्गत-

विषय शीर्ष	बजट उपबंध
20- अन्य प्रशासनिक व्यय	
0101.20.02 कॉन्फ्रेन्स, कार्यशाला, सेमिनार	11,00,000
0101.20.03 प्रशिक्षण व्यय	7,00,000
योग-26-2230.01.789.0101- ग्रामीण प्रशिक्षण शिविरों का संगठन	***18,00,000***

(₹ अठारह लाख) मात्र ।

वित्तीय वर्ष 2019-20 में उचित इकाईयों से बजट में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा ।

15

3. उक्त के आलोक में अनुमानित व्यय विवरण निम्न प्रकार है :-

(क)	प्रशिक्षण के दिन एक दिन की मजदूरी ***(तत्समय प्रवृत्त दर के अनुसार दी जाऐगी)***	8442X256.00 =	₹ 2161152	***या*** ₹ 23,00,000
(ख)	आने जाने का मार्ग व्यय	8442X100.00 =	₹ 844200	***या*** ₹ 8,45,000
(ग)	एक दिन का भोजन/ नास्ता	8442X115.00 =	₹ 970830	***या*** ₹ 9,71,000
(घ)	शामियाना, पोस्टर, पम्पलेट, बुकलेट, दरी, होर्डिग आदि (प्रति शिविर)	38X20000.00 =	₹ 760000	***या*** ₹ 10,00,000
(ड.)	अंसगठित क्षेत्र के श्रमिकों हेतु सेमिनार, सिम्पोजियम आदि (वार्षिक)	₹ 480000 =	₹ 480000	***या*** ₹ 5,00,000
	कुल योग		***₹5216182***	***या*** ₹ ***56,16,000*** के विरूद्ध ***₹57.00 लाख***

4. यह चालू योजना है। गत वर्ष इस योजना की स्वीकृति विभागीय पत्रांक-3542 दिनांक-25.05.18 द्वारा दी गयी है ।

5. उक्त राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के संबंधित उप श्रमायुक्त/ संबंधित सहायक श्रमायुक्त/ संबंधित श्रम अधीक्षक होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी श्रमायुक्त, बिहार होंगे ।

6. उक्त राशि की निकासी संबंधित जिला के कोषागार/उप कोषागार से की जायेगी ।

7. प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है ।

8. प्रस्ताव एवं प्रारूप पर विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(के०सेंथिल कुमार)

विशेष सचिव।

ज्ञाप संख्या-06/एफ1-305/2019 श्र0सं0- 3238 पटना, दिनांक 23.7.19

प्रतिलिपिः- प्रधान सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/निदेशक (कृ0श्र0) निदेशालय, /संबंधित सभी उप श्रमायुक्त/संबंधित सभी सहायक श्रमायुक्त/संबंधित सभी श्रम अधीक्षक/संबंधित कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी/आई.टी. मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा-2 (सरकार पक्ष)/प्रशाखा-5 (श्रम पक्ष)/बजट शाखा प्रशाखा-06 (श्रम पक्ष)/व्यय विवरणी शाखा प्रशाखा-6(श्रम पक्ष) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

विश्वासभाजन,

22/7/19

(के०सेंथिल कुमार)

विशेष सचिव।